न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – डॉ दिनेश राय सापेला, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 4/2023
रजिस्ट्रेशन नं. : 2023/4

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री मुकेश कुमार गुर्जर पुत्र श्री गेबीलाल गुर्जर निवासी 1 बी 17 माही सरोवर कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, बॉसवाडा (विक्रेता) मैसर्स गणेश मिल्क डेयरी 1 बी 17 माही सरोवर कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, बॉसवाडा
2. श्रीमती अन्जना पत्नी मुकेश कुमार गुर्जर निवासी 1 बी 17 माही सरोवर कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, बॉसवाडा (मालिक) मैसर्स गणेश मिल्क डेयरी 1 बी 17 माही सरोवर कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, बॉसवाडा

उपस्थित :–

खाद्य सुरक्षा अधिकारी

श्री मुकेश कुमार गुर्जर
श्रीमती अन्जना

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 15–03–2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री शशीकान्त शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक 17–01–2023 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 10–11–2022 को 04.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु मैसर्स गणेश मिल्क डेयरी 1 बी 17 माही सरोवर कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, बॉसवाडा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री मुकेश कुमार गुर्जर पुत्र श्री गेबीलाल गुर्जर उपस्थित थे। निरीक्षण करने पर विक्रेता की दुकान में पनीर 40 किलोग्राम कोल्ड बॉक्स में आम जनता को विक्रय हेतु पाया गया। इसमें गुणवत्ता की कमी/ मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए आम जनता को बिक्री हेतु रखे करीब 40 किलोग्राम पनीर मे से 1 किलोग्राम वास्ते जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 320 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा 1 किलोग्राम पनीर को साफ सुखे एवं खाली बर्तन में डालकर एक रुप कर चार साफ–सुखे एवं खाली प्लास्टिक के जारो में बराबर–बराबर मात्रा में भरकर प्रत्येक जार में प्रिजर्वेटिव फॉर्मलीन की 20–20 बूंदे डालकर जार का मुह ढक्कन की सहायता से एयर टाईड बन्द किया तथा अभिहित अधिकारी बॉसवाडा से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक **W** 1240 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर चारो नमूना भाग को नियमानुसार सील बन्द किया। सील बंद नमूना पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिख कर स्वयं हस्ताक्षर कर चारो नमूनो को अपने कब्जे में लिया। उक्त चार नमुना भागो में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में में सील बन्द कर सील मोहर कर डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/465 दिनांक 12.12.2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 950 दिनांक 21.11.2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **पनीर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाये जाने से विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 20–01–2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 27–02–2023 को अभियुक्त **श्री मुकेश कुमार गुर्जर पुत्र श्री गेबीलाल गुर्जर** व **श्रीमती अन्जना पत्नी मुकेश कुमार गुर्जर** ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपीगणो द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्तगणो को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2022 / 465 दिनांक 12.12.2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 950 दिनांक 21.11.2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **पनीर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डड होना पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगणो द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड किया गया **पनीर** विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। आरोपीगणो को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **श्री मुकेश कुमार गुर्जर पुत्र श्री गेबीलाल गुर्जर मैसर्स गणेश मिल्क डेयरी 1 बी 17 माही सरोवर कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, बॉसवाडा** एवं **श्रीमती अन्जना पत्नी मुकेश कुमार गुर्जर मैसर्स गणेशं मिल्क डेयरी 1 बी 17 माही सरोवर कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, बॉसवाडा** को रूपये 50,000 / – (अक्षरे रू. पचास हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 15–03–2023 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा